

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

अनूप बाई

बनाम

मुन्नालाल

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 172/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|-------------|--|
| 06/05/24 | <p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>अनूपबाई पत्नी रम्यलाल जी जार</u></p> <p>श्री श्री <u>मालासिंह - शकर पिता रम्यलाल जी जार</u></p> <p>निवासी- <u>जालमपुरा</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम</p> <p><u>जालमपुरा (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>101</u> / <u>750</u> <u>0-22</u> / <u>0-88</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> कुल रकबा <u>1.1000</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी को आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>जालमपुरा (तह. चित्तौड़गढ़)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>101</u> / <u>750</u> <u>0-22</u> / <u>0-88</u></p> <p>कुल कीता <u>02</u> रकबा <u>1.1000</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1000-00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार रुपए</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p> (वीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p> |